सर्वोच्च प्राथमिकता/ गोपनीय
संख्या: 3504आर/छः-पु0-5-1999

प्रेषक,

श्री वी0 के मित्तल,
प्रमुख सचिव, गृह
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तर प्रदेश ।

गृह (पुलिस) अनुभाग-5 लखनऊ : दिनांक: 05-6-, 1999

विषयः-शस्त्र लाइसेंसों के जारी करने में सावधानी बरतना ।

महोदय

ऐसे व्यक्ति, जिन्हें वास्तविक जीवन भय है उन्हें सुरक्षा की दृष्टि से अन्य शर्तों के पूरा होने पर प्राथमिकता पर शस्त्र लाइसेंस स्वीकृत किये जाने हेतु विचार किया जाय, ऐसी शासन की नीति रही है। ऐसी सूचनाएँ मिल रही है कि सम्भावित चुनावों की घोषणा के परिप्रेक्ष्य में जिला मजिस्ट्रेटों पर शस्त्र लाइसेंस की स्वीकृति हेतु अत्याधिक दबाव डाला जा रहा है।

2. शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट गुण-दोष के आधार पर शस्त्रों के लाइसेंस जारी करते हैं। जिला मजिस्ट्रेट यह सुनिश्चित करेगें कि किसी भी दशा में ऐसे व्यक्तियों को शस्त्र लाइसेंस जारी न किये जाये, जिन्हें शस्त्र लाइसेंस की वास्तविक आवश्यकता नहीं है। इस सम्बन्ध में शस्त्र अधिनियम एवं आयुध नियामवली के अन्य प्राविधानों के अलावा जिला मजिस्ट्रेट को शस्त्र अधिनियम की धारा 13 (3)(B) के अन्तर्गत निम्न प्राविधान की ओर ध्यानाकर्षण आवश्यक है:

The licensing authority shall grant a licence under Section 3 in any other case or a licence under Section 4, Section 5, Section 6, Section 10 or Section 12, if the licensing authority is satisfied that the person by whom the licence is required has a good reason for obtaining the same.

उपरोक्तानुसार जिला मजिस्ट्रेट केवल उन्हीं मामलों में शस्त्र लाइसेंस दिये जाने हेतु विचार करेगें, जिनमें चुनाव से पूर्व शस्त्र लाइसेंस दिये जाने का समुचित आधार है। सामान्य चुनाव की घोषणा के पश्चात्, प्रकिया पूर्ण होने तक कोई भी नया लाईसेंस जारी नहीं किया जायेगा।

भवदीय,
(वी0 के0 मित्तल)
प्रमुख सचिव,

संलग्नक- यथाउपरोक्त
प्रतिलिपि समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0 को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
(वी0 के0 मित्तल)
प्रमुख सचिव,